

आर० सी० प्रपत्र - 41
 (देखें नियम 158 और 162)
 भूमि और अन्य अचल सम्पत्तियों की कुर्की (जब्त)

सेवा में,

श्री. श्री. राजू नवल राउ अग्रवाले
 मन्दिरी, राजस्थान के उद्योग, राजस्थान के अग्रवाले
 राजस्थान के अग्रवाले, राजस्थान के अग्रवाले
 पटनापुर मेरठ

जैसा कि आप अधोलिखित भू- राजस्व की राशि या वसूली योग्य बकाया भू-
 राजस्व को जमा करने में असफल हुये है।

आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोलिखित सम्पत्ति जब्त कर
 ली गयी है और आपको आगे से उक्त सम्पत्ति के हस्तान्तरण या बिक्री, दान या
 अन्य रूप से प्रसार अर्जन से निषिद्ध और अवरुद्ध किया जाता है, और अन्य
 व्यक्तियों को भी उक्त सम्पत्ति की बिक्री, दान या अन्य रूप में प्राप्त करने से निषिद्ध
 और अवरुद्ध किया जाता है।

जब्त सम्पत्ति का विवरण

डाकरीय गोजन लि अग्रवाले के 40396-59 कां.सं.०
 राजस्थान के अग्रवाले

बकाया का विवरण
 वि.ना.सं. 4, 12, 87, 183-17
 बकाया 4, 12, 87, 183-17

जारी तिथि 27-9-21

मुहर

हस्ताक्षर

जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी
 मेरठ

नोट- इस अधिसूचना की एक प्रती उक्त जब्त सम्पत्तिपर या उक्त नजदीक परवा की जागी बाहिरों और जमीन की आसपास ही उस स्थान पर ही डोल पीटमार चर्चामित की जागी बाहिरों।